



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

xxxGIDHxxx

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092021-229553

CG-DL-E-11092021-229553

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 387]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 10, 2021/भाद्र 19, 1943

No. 387]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 10, 2021/BHADRA 19, 1943

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 8 सितम्बर, 2021

**विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2021**

फा. सं. फेमा.23 (आर)(5)/2021-आरबी.—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा-47 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 [दिनांक 12 जनवरी, 2016 की अधिसूचना सं. फेमा 23(आर)/2015-आरबी], जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियमावली' कहा गया है, में निम्नलिखित संशोधन करता है :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

- इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2021 कहा जाएगा।
- यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. इस मूल विनियमावली में, विनियम 15 में, उप-विनियम 1 में, खंड (ii) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“ii) अग्रिम भुगतान पर देय ब्याज, यदि कोई हो, की दर लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लाइबोर) या मामले के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देशित किसी अन्य प्रयोज्य बेंचमार्क से 100 आधार अंक अधिक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए; और”।

आर. एस. अमर, मुख्य महाप्रबंधक  
[विज्ञापन-III/4/असा./254/2021-22]

**फुट नोट:** विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 [दिनांक 12 जनवरी, 2016 की अधिसूचना सं. फेमा 23(आर)/2015-आरबी] दिनांक 12 जनवरी, 2016 को जी.एस.आर.सं.19(अ) के तहत मार्फत सरकारी राजपत्र के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी; एवं तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए थे :

- (i) दिनांक 23 जून, 2017 की अधिसूचना सं. फेमा.23(आर)(1)/2017-आरबी; जिसे दिनांक 23 जून, 2017 को जी.एस.आर. सं. 635 (अ) के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया।
- (ii) दिनांक 3 दिसंबर, 2019 की अधिसूचना सं. फेमा. 23(आर)(2)/2019-आरबी; जिसे दिनांक 09 दिसंबर, 2019 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया।
- (iii) दिनांक 31 मार्च, 2020 की अधिसूचना सं. फेमा. 23(आर)(3)/2020-आरबी; जिसे 31 मार्च, 2020 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया।
- (iv) दिनांक 08 जनवरी, 2021 की अधिसूचना सं. फेमा. 23(आर)(4)/2021-आरबी; जिसे 11 जनवरी, 2021 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

**RESERVE BANK OF INDIA**  
**(Foreign Exchange Department)**  
(CENTRAL OFFICE)  
**NOTIFICATION**

Mumbai, the 8th September, 2021

**Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Amendment) Regulations, 2021**

**F. No. FEMA 23(R)/(5)/2021-RB.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) Regulations, 2015 [Notification No. FEMA 23(R)/2015- RB dated January 12, 2016] (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations'), namely:

1. **Short title and commencement:** -

- i. These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Amendment) Regulations, 2021.
- ii. They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Principal Regulations, in Regulation 15, in sub-regulation 1, for clause (ii), the following shall be substituted, namely: -

“ii) *the rate of interest, if any, payable on the advance payment shall not exceed 100 basis points above the London Inter-Bank Offered Rate (LIBOR) or other applicable benchmark as may be directed by the Reserve Bank, as the case may be; and*”.

R. S. AMAR, Chief General Manager  
[ADVT.-III/4/Exty./254/2021-22]

**Foot Note:** - The Foreign Exchange Management (Export of Goods & Services) Regulations, 2015 [Notification No. FEMA 23(R)/2015-RB dated January 12, 2016] were published in the Official Gazette vide G.S.R.No.19 (E) dated January 12, 2016 in Part II, Section 3, Sub-Section (i) and subsequently amended as under:

- (i) Notification No. FEMA 23(R)/(1)/2017-RB dated June 23, 2017 published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 635(E) dated June 23, 2017.
- (ii) Notification No. FEMA 23(R)/(2)/2019-RB dated December 03, 2019 published in the Official Gazette on December 09, 2019.
- (iii) Notification No. FEMA 23(R)/(3)/ 2020-RB dated March 31, 2020 published in the Official Gazette on March 31, 2020.
- (iv) Notification No. FEMA 23(R)/(4)/2021-RB dated January 08, 2021 published in the Official Gazette on January 11, 2021.